निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 42/2024
दायरा दिनांकः–13.08.2024
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. दिलीप आयु 25 वर्ष छीतरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम निपानी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां
2. भरोसी बाई पत्नि किशन जाति मीना निवासी ग्राम गोडियाचारण तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,131,136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव– प्रार्थी
2. श्री भगवान कृष्ण बलरिया

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा111,128,131,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल गोडियाचारण पटवार मण्डल भुवाखेड़ी तहसील छबडा मे जमाबंदी सम्वत 2074–2077, जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 91 खसरा नम्बर 274/438 रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज है। एंव निर्वाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। मद नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 274/438 की पटवारी हल्का द्वारा तरमीम की गई जो खसरा नम्बर 274/438 के स्थान पर खसरा नम्बर 274 तरमीम कर दिया जो अप्रार्थी कम 2 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दर्ज है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। मद नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 274/438 के स्थान पर नक्शा लठा व ऑनलाईन नक्शा राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बर 274 दर्ज हो जाने से अप्रार्थी कम 2 प्रार्थी की कृषि आराजी को हडपना चाहता है। एंव लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है। जिसमे यदि अप्रार्थी उसके मकसद मे सफल हो जाता है। तो प्रार्थी के परिवार के भूखो मरने की नोबत आ जायेगी। प्रार्थी ने तहसीलदार (भू

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिलेख) कार्यालय जिला कलेक्टर बारां से मद नम्बर 1 में वर्णित खसरा नम्बर 274/438 की प्रमाणित प्रतिलिपी निकलाई जिसमे प्रार्थी की तरमीम प्रार्थी की काबिज जगह पर ही है। जबकि अप्रार्थी कम 2 के खसरा नम्बर 274 की तरमीम प्रार्थी के खसरा नम्बर 274/438 के उत्तरी दिशा एंव पश्चिमी दिशा की तरफ हो रही है। जबकि वर्तमान नक्शा लट्ठा व ऑनलाईन राजस्व नक्शा मे प्रार्थी के खसरा नम्बर 274/438 की तरमीम गलत हो रही है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी कम 2 द्वारा प्रार्थी की जमीन हड़पने की धमकी देने के बाद प्रार्थी हल्का पटवारी महोदय के पास आया तब हल्का पटवारी जी ने पुराने नक्शे की नकल लाने हेतु प्रार्थी से कहा प्रार्थी द्वारा जिला कार्यालय बारा से खसरा नम्बर 274/438 की पुरानी नकल लाने पर हल्का पटवारी ने देखकर सम्माननीय न्यायालय में शुद्धी करवाने हेतु कहा। अप्रार्थी कम 1 लेण्ड होल्डर होने से एंव राजस्व नक्शा रिकार्ड मे गलत तरमीम की गई जिस कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियाचारण सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 91 नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 245 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गोडियाचारण नकल नक्शा ट्रेस गोडियाचारण पेश किया गया। नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010 दिलीप बैरवा का आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 274/438 की हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गई जो खसरा नम्बर 274/438 के स्थान पर खसरा नम्बर 274 तरमीम कर दिया है जो अप्रार्थी क्रम 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है खसरा नम्बर 274/438 के स्थान पर नक्शा लटठा व आनॅ लाईन नक्शा राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 274 दर्ज हो जाने से अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरूस्त कराना चाहता है पुराने नक्शा लट्ठा में प्रार्थी की तरमीम प्रार्थी की काबिज स्थान पर ही है जबकि अप्रार्थी क्रम 2 के खसरा नम्बर 274 तरमीम प्रार्थी के खसरा नम्बर 274/438 उत्तरी एवं पश्चिमी दिशा की तरफ हो रही है जबकि वर्तमान नक्शा लट्ठा व ऑन लाईन राजस्व नक्शा लट्ठा में प्रार्थी के खसरा नम्बर 274/438 की तरमीम गलत हो रही है जिसे दुरूस्त कराने का अधिकारी है प्रार्थी मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त कराना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी क्रम 2 का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274/438 सही स्थान पर है खसरा नम्बर 274/438 जो भूमि खसरा नम्बर 274 का हिस्सा है खसरा नम्बर 274 बडा रकबा था जो 10 भागों में विभाजित हो चुका है प्रार्थी ओर अप्रार्थी मौके पर कब्जे काश्त चले आ रहे है कब्जे के आधार अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रही है जो तरमीम ऑनलाईन की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा नही रहा नाम मात्र खातेदारी में दर्ज है भूमि को कभी काश्त नही किया अप्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी में 10 बीघा भूमि है। तथा 10 बीघा भूमि पर ही अप्रार्थी क्रम 2 काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी खसरा नम्बर 274/506 एवं 274/415 की तरफ तरमीम कराना चाहता है प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर तरमीम कर दी जावें। अप्रार्थी क्रम 2 को 10 बीघा दे दी जावें अप्रार्थी क्रम 2 को कोई आपत्ति नही है सम्पूर्ण भूमि एक जैसी है प्रार्थी जिधर तरमीम कराना चाहता है करा ले अप्रार्थी को अपने खाते की 10 बीघा की भूमि चाहियें 10 बीघा की तरमीम की जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियाचारण सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 91 के अनुसार दिलीप पुत्र छीतरलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियाचारण सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 245 में भरोसी बाई पत्नि श्रीकिशन जाति मीना के खातेदारी में दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गोडियाचारण के अनुसार खसरा नम्बर 274 के स्थान पर खसरा नम्बर 274/438 दर्ज है इसके बाद 274/438 दर्ज है प्रार्थी खसरा नम्बर 274 के स्थान पर 274/438 चाहता है उसके बाद 274 दर्ज करवाना चाहता है मौके पर इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त होना बताया हे इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोडियाचारण की आराजी खसरा नम्बर 274/438 रकबा 1.0749 है0 भूमि खातेदार दिलीप पुत्र छीतरलाल कोम बैरवा के नाम व खसरा नम्बर 274 रकबा 2.5293 है0 भूमि भरोसी बाई पत्नि श्रीकिशन मीना के नाम खाते दर्ज है DILRMP योजना अन्तर्गत ऑनलाईन करतें समय दोनो खसरा नम्बर आपस में बदल दिये गये है खसरा नम्बर 274 व 274/438 के रकबे में अन्तर है एवं बन्दोबस्त के नक्शा में भिन्न स्थान पर खसरा नम्बर दर्ज कर दिये है पूर्व राजस्व नक्शे एवं मेंमोशीट के अनुसार खसरा शुद्ध किया जाना उचित होगा। प्रार्थी दिलीप खसरा नम्बर 274/438 पर बन्दोबस्त के नक्शा अनुरूप मौका पर काबिज काश्त है गोडियाचारण के नक्शा में खसरा नम्बर 274 के स्थान पर खसरा नम्बर 274/438 व खसरा नम्बर 274/438 के स्थान पर खसरा नम्बर 274 दर्ज कर दुरूस्त किया जाना उचित होगा। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं नक्शा बन्दोबस्त में विरोधाभाष है नक्शा बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 274 उपर है तथा 274/438 एवं खसरा नम्बर 274/439 नीचे की तरफ है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि किस तरफ/किस दिशा में है तथा कहां पर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 274/439 के खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया गया है। अर्थात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष साबित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)